# समाहरणालय, मुंगेर

## (जिला पंचायत राज कार्यालय)

### आदेश

प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर मुंगेर के पत्रांक-720/दिनांक-03.05.2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री देवेन्द्र वर्मा को दिनांक-30.07.2015 को समाजिक सुरक्षा पेंशन मद में ग्राम पंचायत राज मय के पेंशनधारियों को वितरण करने हेतु कुल मो0-29,79,900/- (उनतीस लाख उनासी हजार नौ सौ) रूपये मात्र अग्रिम दिया गया था, अग्रिम वितरण के पश्चात् अग्रिम राशि का समायोजन नहीं कराने, ग्राम पंचायत मय, कटरिया, जानकीनगर एवं जाफरनगर चारों ग्राम पंचायत का कार्य बाधित किये जाने के आरोप के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक-1221/पं0, दिनांक-05.07.2016 के द्वारा श्री देवेन्द्र वर्मा, पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण पुछा गया, लेकिन स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया, पुनः इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-1356/पं0, दिनांक-05.08.2016 के द्वारा स्पष्टीकरण पुछा गया, पत्र प्राप्त करने के उपरांत भी स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया, जो वरीय पदाधिकारी के आदेश अवहेलना का धोतक है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर मुंगेर के पत्रांक-1136/दिनांक-05.08.2016 एवं 1189/दिनांक-12.08.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री देवेन्द्र वर्मा (पंचायत सचिव) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कुल मो0-29,79,900/- (उनतीस लाख उनासी हजार नौ सौ) रूपये मात्र का अग्रिम राशि पेंशनधारियों को भुगतान करने हेतु लिया गया था, जिसमें से कुल मो0-28,62,400/- रूपये का अभिश्रव एवं शेष राशि मो0-1,17,500/- रूपये मात्र का प्रखंड कार्यालय सदर मुंगेर के नजारत में जमा करने का सूचना प्राप्त कराया गया।

श्री देवेन्द्र वर्मा (पंचायत सचिव) के द्वारा अधोहस्ताक्षरी स्तर से किये गये स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक-1546/पं0, दिनांक-05.11.2016 के द्वारा श्री देवेन्द्र वर्मा (पंचायत सचिव) के विरूद्ध विधिवत प्रपत्र-'क' गठित करने का निदेश दिया गया।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर मुंगेर के पत्रांक-1403/दिनांक-15.07.2019 के द्वारा श्री देवेन्द्र वर्मा (पंचायत सचिव) के विरूद्ध विधिवत प्रपत्र-'क' गठित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर के माध्यम से प्राप्त कराया गया।

**आरोप का विवरण :-**

(1) आपके द्वारा अपने पदस्थापन काल में ग्राम पंचायत राज मय, सदर प्रखंड, मुंगेर में वर्ष-2016 सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद में मो0-29,79,000/- (उन्नतीस लाख उनासी हजार) रूपये मात्र अग्रिम प्राप्त कर ससमय अग्रिम का समायोजन नहीं कराया गया।

(2) आपके द्वारा ग्राम पंचायत राज जानकीनगर, कटरिया एवं माय का सम्पूर्ण प्रभार नहीं सौंपा गया। इसके कारण ग्राम पंचायत का कार्य बाधित हुआ तथा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सात निश्चय एवं अन्य योजना के क्रियान्वयन में व्यवधान उत्पन्न हुआ।

उपरोक्त प्रपत्र-'क' में लगाये आरोप का अनुमोदन करते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-757/पं0, दिनांक-06.08.2019 के द्वारा विभागीय कार्रवाई के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी उप विकास आयुक्त, मुंगेर एवं उपस्थापन पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर मुंगेर को नामित किया गया।

उप विकास आयुक्त, मुंगेर-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-254/दिनांक-15.02.2020 के द्वारा श्री देवेन्द्र वर्मा, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत मय, प्रखंड कार्यालय सदर मुंगेर, वर्त्तमान प्रखंड कार्यालय, धरहरा के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई सम्पन्न कर अभिलेख प्राप्त कराया गया है, जिसमें संचालन पदाधिकारी के द्वारा प्रपत्र-'क' में लगाये गये दोनों आरोप प्रमाणित पाये जाने का प्रतिवेदन प्राप्त कराया गया है।

संचालन पदाधिकारी-सह-उप विकास आयुक्त, मुंगेर के निष्कर्ष, उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य एवं आरोपी कर्मी के द्वारा दिए गये स्पष्टीकरण का विवरण निम्नवत् है :-

| आरोप संख्या एवं आरोप | आरोपी पंचायत सचिव का कारण पृच्छा | उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य | संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **आरोप संख्या :- 01.** श्री देवेन्द्र वर्मा, पंचायत सचिव के द्वारा अपने पदस्थापन काल में ग्राम पंचायत राज मय, सदर प्रखंड, मुंगेर में वर्ष-2016 सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद में मो0-29,79,000/- (उन्नतीस लाख उनासी हजार) रूपये मात्र अग्रिम प्राप्त कर ससमय अग्रिम का समायोजन नहीं कराया गया। | आरोपी पंचायत सचिव श्री देवेन्द्र वर्मा, के द्वारा दिनांक-29.08.2019 को सुनवाई में मौखिक रूप से बताया गया कि ग्राम पंचायत राज मय में पेंशन का वितरण हेतु प्राप्त राशि का समायोजन करा दिया गया है। लेकिन उनके द्वारा लिखित प्रतिवेदन अथवा साक्ष्य कभी भी अधोहस्ताक्षरी को समर्पित नहीं किया गया। | श्री देवेन्द्र वर्मा पूर्व पंचायत सचिव सदर प्रखंड, मुंगेर के द्वारा ग्राम पंचायत राज मय हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद में ली गई अग्रिम राशि मो0-29,79,000/- (उन्नतीस लाख उनासी हजार) रूपये मात्र का समायोजन किया जा चुका है, लेकिन ससमय समायोजन नहीं किया गया है। | श्री देवेन्द्र वर्मा को विभागीय कार्रवाई में नोटिस निर्गत होने के पश्चात दिनांक-29.08.2019 को सुनवाई में संचालन पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि अगली बैठक में नाजिर रसीद एवं अन्य प्रमाण-पत्र के साथ उपस्थित होगें लेकिन उनके द्वारा कोई लिखित प्रतिवेदन अथवा साक्ष्य अंतिम सुनवाई तक समर्पित नहीं किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर मुंगेर-सह-उपस्थापन पदाधिकारी के पत्रांक-2291/दिनांक-16.11.2019 के अनुसार श्री वर्मा द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद में ली गई अग्रिम राशि मो0-29,79,000/- (उन्नतीस लाख उनासी हजार) रूपये मात्र का समायोजन किया जा चुका है। लेकिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद से ली गई अग्रिम राशि का समायोजन ससमय नहीं करने के फलस्वरूप श्री देवेन्द्र वर्मा, पंचायत सचिव दोषी प्रतीत होते है। अतः आरोप प्रमाणित होता है। |
| **आरोप संख्या- 02.** आपके द्वारा ग्राम पंचायत राज जानकीनगर, कटरिया एवं मय का सम्पूर्ण प्रभार नहीं सौंपा गया। इसके कारण ग्राम पंचायत का कार्य बाधित हुआ तथा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सात निश्चय एवं अन्य योजना के क्रियान्वयन में व्यवधान उत्पन्न हुआ। | आरोपी पंचायत सचिव श्री देवेन्द्र वर्मा, के द्वारा दिनांक-29.08.2019 को सुनवाई में मौखिक रूप से बताया गया कि कटरिया तथा जानकीनगर में आंशिक तथा मय में पूर्ण रूप से प्रभार सौप दिया गया है। लेकिन उनके द्वारा लिखित प्रतिवेदन अथवा साक्ष्य कभी | श्री देवेन्द्र वर्मा, पूर्व पंचायत सचिव, सदर प्रखंड, मुंगेर के ग्राम पंचायत राज मय, कटरिया एवं जानकीनगर के प्रभार में थे, परंतु स्थानान्तरण के बाद इनके द्वारा पंचायत का प्रभार आधा-अधूरा सौपा गया है। बार-बार कार्यालाय के द्वारा पूर्ण प्रभार देने हेतु स्मारित किया जाता रहा, जिसकी सूचना कार्यालय के | श्री देवेन्द्र वर्मा, को विभागीय कार्रवाई में नोटिश निर्गत होने के पश्चात् सुनवाई में संचालन पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि मय, जानकीनगर एवं कटरिया का सम्पूर्ण प्रभार से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। लेकिन उनके द्वारा कोई लिखित प्रतिवेदन अथवा साक्ष्य अंतिम सुनवाई तक समर्पित नहीं किया गया। इसलिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर मुंगेर-सह-उपस्थापन पदाधिकारी के पत्रांक-2291/दिनांक-16.11.2019 के आलोक में श्री वर्मा मय, जानकीनगर एवं कटरिया ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण प्रभार नहीं देने के कारण दोषी प्रतीत होते है। अतः प्रभार नही सौपने का आरोप प्रमाणित होता है। उल्लेखनीय है |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | भी अधोहस्ताक्षरी को समर्पित नहीं किया गया। | पत्रांक-1150/दिनांक-03.03.2018 एवं पत्रांक-1185/दिनांक-10.06.2019 के द्वारा जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुंगेर को भी संसूचित किया जा चुका है, लेकिन इन्होंने आजतक पूर्ण प्रभार नहीं सौपा है। ग्राम पंचायत राज मय एवं कटरिया का प्रभार स्व0 रामविलास रजक को इनके द्वारा आधा-अधूरा सौपा गया था। ग्राम पंचयत राज जानकीनगर का प्रभार भी आजतक वर्त्तमान में पदस्थापित पंचायत सचिव श्री सुरेश कुमार यादव, को नहीं सौपा गया है। | कि श्री देवेन्द्र वर्मा, पंचायत सचिव के विरूद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर मुंगेर-सह-उपस्थापन पदाधिकारी के पत्रांक-2291/दिनांक- 16.11.2019 द्वारा पंचायत समिति में पंचम वित्त आयोग मद से कार्यान्वित योजना में मो0-5,97,500/- (पाँच लाख सन्तानबे हजार पाँच सौ) रूपये मात्र अग्रिम प्राप्त करने तथा योजना अपूर्ण रहने के कारण उनसे मो0-5,97,500/- (पाँच लाख सन्तानबे हजार पाँच सौ) रूपये मात्र का अग्रिम राशि की वसूली करने हेतु सूचना दी गई है। उक्त आरोप को इस विभागीय कार्यवाही में नहीं लिया जा सकता है। इसलिए इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर मुंगेर को अलग से प्रपत्र-'क' का गठन करने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। |

विभागीय कार्रवाई में आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-628/पं0, दिनांक-29.05.2020 के द्वारा श्री देवेन्द्र वर्मा, पंचायत सचिव से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। द्वितीय कारण पृच्छा का पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा के द्वारा दिनांक-15.06.2020 को श्री वर्मा, पंचायत सचिव को पत्र प्राप्त कराया गया। पत्र का तामिला प्रतिवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा के पत्रांक-744/दिनांक-15.06.2020 के द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त कराया गया, लेकिन श्री वर्मा, पंचायत सचिव के द्वारा दिनांक-02.07.2020 तक द्वितीय कारण पृच्छा का प्रतिउत्तर इस कार्यालय को समर्पित नहीं किया गया, जो वरीय पदाधिकारी के आदेश अवहेलना, कर्त्तव्यहीनता एवं कार्य के प्रति लापरवाही का धोतक है।

दिनांक-02.07.2020 तक द्वितीय कारण पृच्छा का प्रतिउत्तर नहीं देने के कारण पुनः इस कार्यालय के ज्ञापांक-893/पं0, दिनांक-03.07.2020 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु अंतिम मौका श्री देवेन्द्र वर्मा, पंचायत सचिव को दिया गया। उक्त पत्र का तामिला प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा के द्वारा दिनांक-09.07.2020 को श्री वर्मा, पंचायत सचिव को प्राप्त कराया गया, जिसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा के ज्ञापांक-866/दिनांक-09.07.2020 के द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त कराया गया। अंतिम द्वितीय कारण पृच्छा का भी प्रतिउत्तर श्री देवेन्द्र वर्मा, पंचायत सचिव के द्वारा नहीं दिया गया। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि इनके द्वारा जानबुझकर वरीय पदाधिकारी के आदेश का अवहेलना किया जा रहा है, जो बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली/के प्रतिकूल है। फलस्वरूप श्री देवेन्द्र वर्मा, पंचायत सचिव को वृहत् दण्ड देना अनिवार्य हो गया है।

आरोपित पंचायत सचिव, श्री देवेन्द्र वर्मा, सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम-3(i), (ii), (iii) के तहत पूर्णरूपेण दोषी है।

अतः उपरोक्त तथ्यो के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन, आरोपी कर्मी के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं किए जाने के कारण समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए मैं राजेश मीणा, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता-सह-दण्डाधिकारी, मुंगेर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2011 के वृहत् शास्तियाँ के नियम 14(VIII) के आलोक में निम्नतम कालमान वेतन में अवनति का दण्ड श्री देवेन्द्र वर्मा, पंचायत सचिव, तत्कालीन प्रखंड कार्यालय, सदर मुंगेर एवं वर्त्तमान प्रखंड कार्यालय, धरहरा को अधिरोपित किया जाता है, भविष्य में मिलने वाली प्रोन्नति एवं वरीयता पर इसका प्रभाव रहेगा। तद्नुरूप विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

इसके अतिरिक्ति प्र0 वि0 पदाधिकारी, धरहरा को आदेश दिया जाता है कि इस आशय की प्रविष्टि इनकी सेवापुस्त में दर्ज करते हुए इसकी अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ भेजना सुनिश्चित करें।

ह0

*जिला पदाधिकारी,*
*मुंगेर।*

**ज्ञापांक** ...1175.../**पं0, दिनांक** 31/08/2020....

**प्रतिलिपि-** श्री देवेन्द्र वर्मा, पंचायत सचिव, तत्कालीन प्रखंड कार्यालय, सदर मुंगेर एवं वर्त्तमान प्रखंड कार्यालय, धरहरा को सूचनार्थ एंव अनुपालनार्थ प्रेषित ।

**प्रतिलिपि-** प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित पंचायत सचिव को दण्ड के अनुरूप सेवापुस्त में वेतनमान निम्नतम कालमान वेतन में अवनति करते हुए संशोधित वेतन का भुगतान करना सुनिश्चित करें।

**प्रतिलिपि-** उप विकास आयुक्त, मुंगेर /अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

**प्रतिलिपि-** जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

**प्रतिलिपि-** जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एंव मुंगेर जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31/08/20

*जिला पदाधिकारी ,*
*मुंगेर।*